Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक: वी.ब.सिंह.पू.वि.वि./सम्बद्धता/2024/1651
दिनांक : 31.05.24

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्रबंधक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम)
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषयः वेतन भुगतान में अनियमितता, सी0पी0एफ0 कटौती, स्ववित्तपोषित शिक्षकों के अनुमोदन, स्थानांतरण तथा संविदा शिक्षकों को अधिष्ठता आयु के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या--पू.वि.वि./सम्बद्धता/07-(तीन)/2021/10511 दिनांक 01.11.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नियमित रुप से वेतन भुगतान एवं सी0पी0एफ0 कटौती किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है किन्तु अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय के उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में शिक्षक सगठनों से बार--बार शिकायती पत्र प्राप्त हो रहे हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा दिये गये निर्देशों एवं पत्रों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में डॉ0 विवेक पाण्डेय, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्ण वित्तपोषित महाविद्यालय शिक्षक संघ, उ0प्र0 द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबंध तंत्र द्वारा विश्वविद्यालय के निर्देशों की निरंतर अवहेलना की जा रही है। यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है और शिक्षकों तथा कर्मचारियों के भविष्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है। इस सम्बन्ध में शासन से भी दिशा--निर्देश प्राप्त हो रहे हैं तथा आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। सूच्य हो कि शिक्षकों एवं कर्मचारियो के वेतन भुगतान, सी0पी0एफ0 कटौती के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में दिनांक 17.11.2011, 03.05.2013, 19.07.2014, 13.12.2016, 13.08.2018 एवं 01.11.2021 के माध्यम से समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्रबंधक को निर्देशित किया गया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान एवं सी0पी0एफ0/ई0पी0एफ0 की कटौती बैंक खातों के माध्यम से शासनादेश दिनांक 09.05.2000, 23.08.2011 एवं 06.05.2013 के आलोक में नियमित रुप से की जाय। यदि महाविद्यालय/प्रबंध तंत्र द्वारा विश्वविद्यालय के उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्रावधानों के तहत महाविद्यालय/प्रबंध तंत्र के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्त का संज्ञान लेते हुए शिक्षकों के वेतन भुगतान एवं सी0पी0एफ0/ई0पी0एफ0 कटौती की कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें जिससे शासन को अवगत कराया जा सके

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. प्रो0 संजीव गंगवार, प्रभारी, वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. डॉ0 विवेक पाण्डेय, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्ण वित्तपोषित महाविद्यालय शिक्षक संघ, उ0प्र0 को उनके पत्र दिनांक 27.08.2021 एवं विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र दिनांक 05.04.2024 के अनुक्रम में।

कुलसचिव